

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : 1438-1480

दिनांक : 24/4/23

-: कार्यालय आदेश :-

मैं मनीषा शर्मा, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **मई, 2023** में पड़ने वाले विभिन्न राजपत्रित अवकाशों के लिए कोटा न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु निम्न सारणी अनुसार अधिकारीगण को अधिकृत करती हूं। निम्नांकित अधिकारीगण अपने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा न्यायालय समय के पश्चात अपने आवास पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य करेंगे व बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

क्र.सं.	अवकाश तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन	मोबाईल नंबर
1	07.05.2023	श्री नरेन्द्र कुमार मीणा II न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (उत्तर), कोटा	8619029453
2	13.05.2023	सुश्री कान्ता कुमारी न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण), कोटा	7891247026
3	14.05.2023	श्री अमित दवे ए.सी.जे.एम. नंबर - 7 कोटा	9982150521
4	21.05.2023	सुश्री प्रियंका मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 (उत्तर), कोटा	772787399 9
5	22.05.2023	श्रीमति गुंजन सिंह ए.सी.जे.एम. (पी.सी.पी.एन.डी.टी) कोटा	8003731984
6	27.05.2023	श्री अमन गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 (दक्षिण), कोटा	8196816858
7	28.05.2023	श्रीमती मिति श्रीवास्तव विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट) क्रम-2 कोटा	8319932498

नोट:-

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।**

(श्रीमती मनीषा शर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

:: कार्यालय आदेश ::

में मनीषा शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के आदेश 1438-1480 दिनांक 24.04.2023 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्न अवकाश के दिन कोटा शहर तथा कोटा ग्रामीण की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई के लिये रिमाण्ड ड्यूटी हेतु पीठासीन अधिकारी को निम्न प्रकार से अधिकृत करती हूं।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01	श्रीमती गुंजन सिंह	विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट केसेज) कोटा	दिनांक 22.05.2023 के स्थान पर दिनांक 13.05.2023 के लिए
02	सुश्री कान्ता कुमारी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) कोटा	दिनांक 13.05.2023 के स्थान पर दिनांक 22.05.2023 के लिए

नोट:-

1. सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर, कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
2. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारीगण करेंगे।

Mawish
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

क्रमांक: 1540-1552

दिनांक: 29/4/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा
2. संबंधित अधिकारी सुश्री/श्रीमति
3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, कोटा
4. पुलिस अधीक्षक कोटा शहर/कोटा ग्रामीण वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
5. सहायक निदेशक, अभियोजन कोटा को इस लेख के साथ कि संबंधित दिनांक को न्यायालय में अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देश जारी करें।
6. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, कोटा
7. जूनियर लिपिक/सहायक नाजिर जिला न्यायालय, कोटा
8. नॉडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कम्प्यूटर कमिटी, कोटा
9. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय कोटा
10. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्डस

Mawish
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)
कोटा (राज.)